



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082025-265778
CG-DL-E-28082025-265778

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 545]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2025/भाद्र 6, 1947

No. 545]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2025/BHADRA 6, 1947

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 589(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 28 अगस्त, 2025 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिस तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के उपबंध, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक कानूनी निकाय है, पर लागू होंगे, और उक्त प्रयोजन के लिए, भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 730(अ), तारीख 2 मई, 1986 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 229 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

1.	2.	3.
----	----	----

“230. राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कानूनी निकाय”।

[फा. सं. पी-13030/1/2022-एटी]

सोम दत्त शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक सा.का.नि. 730(अ), तारीख 2 मई, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई थी, अर्थात्:-

- (i) सा.का.नि. 1172(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 1986;
- (ii) सा.का.नि. 84(अ), तारीख 6 फरवरी, 1987;
- (iii) सा.का.नि. 409(अ), तारीख 20 अप्रैल, 1987;
- (iv) सा.का.नि. 542(अ), तारीख 11 जुलाई, 1995;
- (v) सा.का.नि. 748(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1998;
- (vi) सा.का.नि. 8(अ), तारीख 4 जनवरी, 2002;
- (vii) सा.का.नि. 499(अ), तारीख 23 अगस्त, 2006;
- (viii) का.आ. 1228(अ), तारीख 25 जुलाई, 2007;
- (ix) का.आ. 1823(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2007;
- (x) का.आ. 906(अ), तारीख 22 अप्रैल, 2008;
- (xi) का.आ. 2580(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2008;
- (xii) का.आ. 2824(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2008;
- (xiii) का.आ. 727(अ), तारीख 31 मार्च, 2010;
- (xiv) का.आ. 2411(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2010;
- (xv) का.आ. 958(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2013;
- (xvi) का.आ. 2617(अ), तारीख 27 अगस्त, 2013;
- (xvii) का.आ. 1258(अ), तारीख 9 मई, 2014;
- (xviii) का.आ. 3107(अ), तारीख 17 नवंबर, 2015;
- (xix) का.आ. 1968(अ), तारीख 22 जून, 2017;
- (xx) का.आ. 3434(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2017;
- (xxi) सा.का.नि. 432(अ), तारीख 8 जून, 2022;
- (xxii) सा.का.नि. 830(अ), तारीख 21 नवंबर, 2022; तथा
- (xxiii) सा.का.नि. 471(अ), तारीख 2 अगस्त, 2024।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2025

G.S.R. 589(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 28 August, 2025, as the date on and from which the provisions of sub-section (3) of section 14 of the said Act shall apply to the National Green Tribunal, a statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and for the said purpose, makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 730(E), dated the 2nd May, 1986, namely:—

In the Schedule to the said notification, after serial number 229 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

1.	2.	3.
“230.	National Green Tribunal	Statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change”.

[F. No. P-13030/1/2022-AT]

SOM DUTT SHARMA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 730 (E), dated the 2nd May, 1986 and subsequently amended *vide* following notifications numbers, namely:—

- (i) G.S.R. 1172 (E), dated 31st October, 1986;
- (ii) G.S.R. 84 (E), dated 6th February, 1987;
- (iii) G.S.R. 409 (E), dated 20th April, 1987;
- (iv) G.S.R. 542 (E), dated 11th July, 1995;
- (v) G.S.R. 748 (E), dated 17th December, 1998;
- (vi) G.S.R. 8 (E), dated 4th January, 2002;
- (vii) G.S.R. 499 (E), dated 23rd August, 2006;
- (viii) S.O. 1228 (E), dated 25th July, 2007;
- (ix) S.O. 1823 (E), dated 25th October, 2007;
- (x) S.O. 906 (E), dated 22nd April, 2008;
- (xi) S.O. 2580 (E), dated 31st October, 2008;
- (xii) S.O. 2824 (E), dated 1st December, 2008;
- (xiii) S.O. 727 (E), dated 31st March, 2010;
- (xiv) S.O. 2411(E), dated 4th October, 2010;
- (xv) S.O. 958(E), dated 12th April, 2013;
- (xvi) S.O. 2617(E), dated 27th August, 2013;
- (xvii) S.O. 1258(E), dated 9th May, 2014;
- (xviii) S.O. 3107(E), dated 17th November, 2015;
- (xix) S.O. 1968(E), dated 22nd June, 2017;
- (xx) S.O. 3434(E) dated 27th October, 2017;
- (xxi) G.S.R. 432(E) dated 08th June, 2022;
- (xxii) G.S.R 830(E) dated 21th November, 2022; and
- (xxiii) G.S.R. 471(E) dated 02nd August, 2024.